न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 108/14 (RCMS No. 2017/00048) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

किरन देवी पुत्री गिर्राज पत्नी ठाकुरिया जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र आशाराम जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर
....असल रैस्पो0
2. गोपाल
3. दीपक

..... तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2014 एवं नामा0 सं0 1686 दिनांक 16.06.2009 वॉके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर

2— अपील संख्याः— 114/14 (RCMS No. 2017/00025) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दीपक पुत्र श्रीमती सन्तो देवी पत्नी आशाराम जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर जरिये मुख्त्यारआम नरेन्द्र सिंह पुत्र पंचम सिंह जाति जाट निवासी अशोक बिहार सुभाष नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र आशाराम जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर
....असल रैस्पो0
2. किरनदेवी पुत्री गिर्राज जाति गोला ठाकुर
3. गोपाल पुत्र श्रीमती सन्तोदेवी पत्नी आशा राम जाति गोला ठाकुर निवासी ग्राम गोलपुर तहसील व जिला भरतपुर

..... तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2014 एवं नामा0 सं0 1686

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 16.06.2009 वॉके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर

उपस्थितिः—

1. श्री कृष्ण कुमार वकील अपीलान्ट किरनदेवी की ओर से
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील रैस्पो0 सं0 1 सुरेश की ओर से
3. श्री प्रमोद कुमार उपमन अपीलान्ट दीपक की ओर से

नि र्ण य **दिनांकः—28.02.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.06.2014 एवं तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश नामा0 संख्या 1686 दिनांक 16.06.2009 वॉके ग्राम गोलपुरा तहसील भरतपुर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित आराजी, विवादित बिन्दु एवं निर्णय दिनांक एक होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावे।

संक्षेप में इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार से हैं कि गिर्राज के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण सं0 1686 दिनांक 16.06.2009 किरनदेई पुत्री गिर्राज हि0 1/2 एवं गोपाल, सुरेश, दीपक पुत्रान सन्तादेवी पत्नी आशाराम बहिस्सा बराबर 1/2 सा0 देह के नाम तहसीलदार भरतपुर द्वारा दर्ज किया गया। इस आदेश के विरूद्व सुरेश चन्द पुत्र आशाराम ने जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि मृतक गिर्राज पुत्र कल्लू के दो पुत्रियॉ सन्तादेवी व किरन देवी है। सन्तादेवी की मृत्यु हो चुकी है। उसके सुरेश चन्द, गोपाल व दीपक पुत्र है। मृतक गिर्राज अपीलान्ट सुरेश का नाना लगता था। उसके कोई पुत्र नही होने के कारण अपने जीवन काल में ही सुरेश को अपने पास बुला लिया था। सुरेश ने ही उनकी सेवा की थी। मृतक ने अपने जीवन काल में सुरेश के हक में वसीयतनामा दिनांक 06.09.93 को कर दिया था। नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तहसीलदार ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया। वसीयत को किरनदेई वगैरहा ने चेलेन्ज नही किया। मृतक की आराजी को लेकर पक्षकरारान के मध्य एक दावा धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 निरस्त किया जावे। रैस्पो0 किरनदेवी वगैरहा ने अधीनस्थ न्यायालय में बताया कि विवादित आराजी के संबंध में पक्षकारान में सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है जिसमें हक हकूक तय होने हैं। जब दावा विचाराधीन है तो नामा0 की अपील में कोई कार्यवाही नही हो सकती है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि पक्षकारान के मध्य दावा विचाराधीन है जिसमें हक हकूक तय होने हैं तथा विवादित आराजी के बेचान होने की संभावना को देखते हुऐ अपील आंशिक स्वीकार कर नामा0 निरस्त कर दिया तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि पक्षकारान के मध्य विचाराधीन दावे में सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य आराजी बाबत् नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के अधिकार व स्वत्व तय होने हैं। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामा0 की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है। किन्ही पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है तो नामा0 की कार्यवाही दावे के निस्तारण तक स्थगित रखी जानी चाहिये। अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2005 आरआरडी 85 उदृत की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सिद्धान्त का अनुसरण नही किया। नामा0 निरस्त नही किया जा सकता है। उनका तर्क है कि मृतक गिर्राज असल रैस्पो0 सं0 1 सुरेश एवं तरतीवी रैस्पो0 सं0 2 व 3 का भी नाना है। गिर्राज की सम्पती में विरासतन अधिकार अपीलान्ट को 1/2 हिस्सा व असल रैस्पो0 व तरतीवी रैस्पो सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर तहसीलदार ने मृतक गिर्राज का विरासतन दाखिल खारिज सभी वारिसान के हक में कानूनन दर्ज किया है। विरासत का नामा0 दर्ज करते समय ही असल रैस्पो0 सं0 1 सुरेश की पूरी सहमति थी। रैस्पो0 सुरेश व अन्य सभी रैस्पो0 व अपीलान्ट ने संयुक्त रूप से तहसीलदार भरतपुर के समक्ष मृतक गिर्राज की आराजी का विरासतन दाखिल खारिज दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उसी के आधार पर वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण दर्ज किया था। नामा0 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया। उनका यह भी तर्क है कि उप जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में वॅटवारे का दावा 315/2011 कन्हैया पुत्र नत्थी वगैरहा बनाम सुगनी पुत्र रामप्रसाद वगैरहा दायर किया था जिसमें सुरेश प्रतिवादी सं0 2/1/2 पक्षकार था। सुरेश के सहित सभी ने इकवाल दावा पेश किया है। आपसी वॅटवारानामा सहमति 100/—रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 07.02.2012 को लिखा गया है जिस पर सभी ने सहमति के हस्ताक्षर किये हैं। जिस पर सुरेश के भी हस्ताक्षर है। उक्त वॅटवारानामा दिनांक 07.02.2012 के आधार पर दावा दिनांक 18.06.2012 को डिक्री हुआ था। यदि सुरेश के पास कोई तथाकथित वसीयत होती तो वह उक्त दावे में पेश करते। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। सुरेश ने तथ्यों को छिपाकर व फर्जी वसीयत तैयार कर आराजी को हड़पने की नीयत से अपील दायर की है। सुरेश ने अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 18 माह बाद नामा0 आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है, जो मियाद बाहर पेश की गई थी। सुरेश ने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अपीलान्ट सुरेश को दाखिल खारिज का पूर्ण इल्म था। ऐसी सूरत में अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य थी। उनका तर्क है कि नामा0 की कार्यवाही में विरासत एवं वसीयत की सत्यता के संदर्भ में कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अपनी बहस के समर्थन में 2017 आरआरडी 527, 2014 आरआरटी 196, 2010 आरआरडी 392 पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं नामा0 सं0 1686 बहाल किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 का तर्क है कि विवादित आराजी मृतक गिर्राज की थी जो रैस्पो0 का नाना था। मृतक गिर्राज की दो लड़कियां थी। जिनका नाम किरन देवी व संता देवी है।

संता देवी की मृत्यु हो चुकी है उसके तीन पुत्र गोपाल, दीपक व रैस्पो0 सुरेश चन्द है। संता देवी के पति का नाम आशाराम है। मृतक का कोई लड़का नही था। मृतक ने रैस्पो0 को अपने पास बुला लिया था। रैस्पो0 ने मृतक की सेवा सुश्रषा की थी। मृतक ने अपने जीवन काल में रैस्पो0 सुरेश के पक्ष में वसीयत करा दी थी जो दिनांक 06.09.93 को तस्दीक की थी। मृतक ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ती अपीलान्ट रैस्पो0 सुरेश के नाम कर दी है। किन्तु नामा0 सं0 1686 दिनांक 16.06.2009 उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज हुआ जबकि रैस्पो0 सुरेश के नाम दर्ज होना चाहिये था। उनका तर्क है कि यदि कोई खातेदार अपने जीवन काल में वसीयत कर देता है तो नामा0 धारा 39 आरटीए के तहत दर्ज होगा। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन है। जिसमें हकों का निर्धारण होना है। उक्त दावे में आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत रैस्पो0 सुरेश ने संशोधन कराया था। उसकी रिवीजन राजस्व मण्डल में अपीलान्ट ने कर रखा है, जो विचाराधीन है। नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसीडिंग है, जिसमें हकों का निर्धारण नही किया जा सकता है, स्वत्व एवं अधिकार केवल दावे में ही तय होंगे। उनका तर्क है कि दीपक ने मुख्तयारनामा बिक्रय हेतु नरेन्द्र सिंह के हक में कर दिया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि दावा के विचारधीन रहते हुऐ कानूनी जटिलताऐं उत्पन्न हो सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण निरस्त कर दावे के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जहॉ तक धारा 5 कानून मियाद का प्रश्न है यह स्वविवेक पर आधारित है। जिसमें अपीलेट न्यायालय हस्तक्षेप नही कर सकती है। उन्होंने 2005 आरआरडी 85 पेश करते हुऐ तर्क किया कि वसीयत, दान, उत्तराधिकार का मामला नामा0 की कार्यवाही में तय नही हो सकता है। बल्कि दावे से ही तय होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर भी दाखिल खारिज दर्ज करने के आदेश नही दिये हैं। प्रकरण दावे के अनुसार कार्यवाही के लिये रिमाण्ड किया है। उन्होंने 1999 आरआरडी 232, 1998 आरआरडी 368, 370 एवं 2001(2) आरआरटी 988 पेश करते हुऐ तर्क दिया कि जहॉ पक्षकारों के बीच दावा पैन्डिग हो तो प्रकरण नामा0 की समरी कार्यवाही में तय नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। गिर्राज के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण सं0 1686 दिनांक 16.06.2009 किरनदेवी पुत्री गिर्राज हि0 1/2 एवं गोपाल, सुरेश, दीपक पुत्रान सन्तादेवी पत्नी आशाराम बहिस्सा बराबर 1/2 सा0 देह के नाम तहसीलदार भरतपुर द्वारा दर्ज किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक गिर्राज पुत्र कल्लू के दो पुत्रियॉ सन्तादेवी व किरन देवी है। सन्तादेवी की मृत्यु हो चुकी है। उसके सुरेश चन्द, गोपाल व दीपक पुत्र है। मृतक गिर्राज अपीलान्ट सुरेश, गोपाल व दीपक का नाना लगता था। रैस्पो0 सुरेश का कथन है कि मृतक गिर्राज के कोई पुत्र नही होने के कारण उसने सुरेश को अपने जीवन काल में ही अपने पास बुला लिया था तथा सुरेश के हक में वसीयतनामा दिनांक 06.09.93 को कर दिया था। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी का खातेदार गिर्राज था तथा किरनदेवी पुत्री गिर्राज व सुरेश, गोपाल व दीपक मृतक के प्राकृतिक कानूनी वारिस हैं। नामान्तरकरण प्राकृतिक वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। वारिसान

के संबंध में कोई विवाद नही है। किन्तु मृतक ने सुरेश के पक्ष में जो वसीयत की है, जो नोटेरी से प्रमाणित है।

रैस्पो0 वसीयत के आधार पर आये हैं। वसीयत जैसे जटिल कानूनी बिन्दु का निर्णय नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्णित नही किया जा सकता है। प्राकृतिक उत्तराधिकार को छोड़कर वसीयत के आधार पर नामा0 जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता। पक्षकारों के मध्य दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकार दावे में तय किये जायेंगे। चूकि नामान्तरकरण प्राकृतिक वारिसान के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वसीयत को आधार मानकर नामान्तकरण निरस्त नही किया जा सकता है। सुरेश वसीयत गृहिता को वसीयत के आधार पर दावे में अपने हकों का निर्धारण कराना चाहिये। नामान्तरकरण को इस आधार पर निरस्त नही किया जा सकता कि पक्षकारों के मध्य दावा विचाराधीन है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें हकों का निर्धारण नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने 2005 आरआरडी 85 का हवाला दिया है जिसमें अंकित किया है कि नामा0 की कार्यवाही में वसीयत, गोद व उत्तराधिकार के जटिल बिन्दुओं का विनिश्च कराना सम्भव नही है पक्षकारों को अपने स्वत्व दावे में तय कराने चाहिये। परन्तु इसमें यह व्यवस्था नही दी है कि दावे के निर्णय तक नामा0 निरस्त किया जाना चाहिये। 2014 (1)आरआरटी 196 में यह व्यवस्था दी है कि विरासत व वसीयत के बीच विवाद होने की स्थिति में न्यायिक दृष्टान्त 2008 आरआरडी 186 के अनुसार विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना विधिक कार्यवाही है। वसीयत के आधार पर हक का दावा करने वाले को सक्षम न्यायालय से वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार की घोषणा करानी चाहिये। वसीयत को इस बात का प्रमाण नही माना जा सकता कि प्राकृतिक वारिसान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण अवैध है।

माननीय न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टान्त में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि जब तक वसीयत की सद्भाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नही कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध कोई हक नही मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नही है। इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद में अधिकारों की घोषणा करानी होगी। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर जब तक प्रार्थी अपने आपको विवादित आराजी का एकल हकदार घोषित नही करा लेता तब तक स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। 2010 आरआरडी 392 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक दावा पैण्डिग है, वसीयत से अपने अधिकार तय नही करा लेता, तब तक उसे नामा0 की कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नही है। नियमित वाद के निर्णय तक नामा0 को यथावत रखा है।

माननीय विभिन्न न्यायालयों ने अपने न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नामा0 से किसी पक्ष को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते हैं। नियम 133 व 135 के तहत किसी कृषक की मृत्यु होने पर प्राकृतिक उत्तराधिकारों का विरासतन नामा0 स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। 2017 आरआरडी 54 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना

चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते है। नामा0 एक संक्षिप्त कार्यवाही है। संक्षिप्त कार्यवाही में प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को अपने हक व अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।

हम अपीलान्ट के इस तर्क से भी सहमत है कि अपीलान्ट व रैस्पो0 के मध्य उप जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में वॅटवारे का दावा 315/2011 कन्हैया पुत्र नत्थी वगैरहा बनाम सुगनी पुत्र रामप्रसाद वगैरहा दायर किया था जिसमें सुरेश प्रतिवादी सं0 2/1/2 पक्षकार था। सुरेश के सहित सभी ने इकवाल दावा पेश किया है। आपसी वॅटवारानामा सहमति 100/—रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 07.02.2012 को लिखा गया है जिस पर सभी ने सहमति के हस्ताक्षर किये हैं। जिस पर सुरेश के भी हस्ताक्षर है। उक्त वॅटवारानामा दिनांक 07.02.2012 के आधार पर दावा दिनांक 18.06.2012 को डिक्री हुआ था। यदि सुरेश के पास कोई तथाकथित वसीयत होती तो वह उक्त दावे में पेश करते। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। प्राकृतिक वारिसान के हक में दर्ज नामान्तरकरण को कथित वसीयत जो अभी सिद्ध भी नही हुई है, के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है। नामा0 एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें स्वत्व एवं अधिकार तय नही किये जा सकते। अपीलान्ट को दावे में ही अपने हक तय कराने चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित नही है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें अपील सं0 108/14 (2014/00048) उनवानी किरन देवी बनाम सुरेश चन्द एवं 114/14 (2014/00025) दीपक बनाम सुरेश चन्द स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.06.2014 निरस्त किया जाता हैं तथा नामान्तरकरण संख्या 1686 दिनांक 16.06.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official